

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील
चंदेरी चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क.- 204 / 13

संस्थित दिनांक- 02.08.2013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

मनीष साहू पुत्र रामस्वरूप साहू उम्र 41 साल
निवासी दिल्ली दरवाजा तहसील चंदेरी
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :-

(आज दिनांक को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा-354डी, 294, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के यह आरोप है कि उसने दिनांक 22.04.2013 के एक माह पूर्व से स्वीटी साहू जो एक स्त्री है कि लज्जा भंग/अनादर करने के आशय से उसे अश्लील इशारे व गाने गाकर एवं उसका पीछा किया तथा उसे लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा सुनने वालों को क्षोभ कारित कर संत्रासित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्राय कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि अभियुक्त मनीष साहू विगत एक माह से फरियादिया स्वीटी साहू को अश्लील इशारे करता है, फरियादिया स्वीटी को देखकर गन्दे-गन्दे गाने गाता है, जब फरियादिया घर से बाहर निकलती है तो अभियुक्त फरियादिया का पीछा करता है, फरियादिया ने शर्म के मारे उक्त घटना के बारे में अपने परिवार को भी नहीं बताया, जब फरियादिया स्वीटी अभियुक्त से ज्यादा परेशान हो गई

(2)

दांडिक प्रकरण क.- 204 / 13

तब फरियादिया ने अपने परिजनों को उक्त घटना के बारे में बताया। फरियादिया के परिजनों ने कहा कि हम समझा देंगे, तो अभियुक्त ने फरियादिया के परिजन से भी गन्दी गन्दी गालिया दी, फिर फरियादियां स्वीटी साहू ने परिवार के साथ थाना चंदेरी में आकर एक लिखित आवेदन प्र०पी०-1 अभियुक्त मनीष साहू के विरुद्ध दिया उक्त आवेदन के आधार पर पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट प्र०पी०-2 लेखबद्ध कराई। उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-140/13 अंतर्गत धारा-354 डी, 294, 506बी भा०द०स० के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03- प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.03.17 को फरियादी स्वीटी के द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) एवं 320 (8) द०प्र०स० के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुए अभियुक्त को भा०द०वि० की धारा-294, 506बी भादवि के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। भा०द०वि० की धारा-354 डी शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।

04- अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार किया तथा प्रकरण में विचारण चाहा। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द०प्र०स० में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फसाया गया है।

05- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 22.04.2013 के पूर्व एक माह से फरियादी स्वीटी साहू कि लज्जा भंग/अनादर करने के आशय से उसे अश्लील इशारे व गाने गाकर एवं उसका पीछा किया ?
2.	दोषसिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

06- अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये फरियादी स्वीटी (अ०सा० 1) उसके पिता मुरारी लाल (अ०सा० 2) के कथन न्यायालय में कराये। फरियादी स्वीटी अ०सा० 1 का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि अभियुक्त का घर उसके घर से लगा हुआ है, इस साक्षी के अनुसार वर्ष 2013 में अप्रैल माह में वह सुबह 10:00 बजे के समय घर के बाहर खड़ी थी, तो कचरा फेंकने को लेकर अभियुक्त ने उसे मां

बहन की गालियां दी थी जिससे आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गये थे और उन लोगों के समझाने पर वह अपने घर आ गई थी और आरोपी अपने घर चला गया था। इस साक्षी के अनुसार उसके पिता घटना के समय घर पर नहीं थे शाम को घर पर आने पर उसने अपने पिता को उपरोक्त घटना के संबंध में बताया था, जिसके बाद वह अपने पिता के साथ थाने पर गई थी।

07- फरियादी स्वीटी (अ0सा0 1) अपने मुख्य परीक्षण में कही भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्त ने उसे अश्लील इशारे किये या उसे देखकर गाने गाये या उसका पीछा किया। यह साक्षी अभियोजन कहानी के विरुद्ध कचरा फेंकने पर से अभियुक्त द्वारा मात्र गाली गलोच किये जाना बताती है। जिससे इस साक्षी के मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन पूरी तरह से अभियोजन कहानी के विपरीत हैं। अतः फरियादी के उपरोक्त कथनों की पुष्टि लेखिए आवेदन प्र0पी0 1 से नहीं होती है। फरियादी स्वीटी (अ0सा0 1) का कहना है कि उसे आवेदन प्र0पी0 1 के बारे में जानकारी नहीं है आवेदन उसकी हस्तलिपि में भी नहीं है उसने थाने पर अपने पिता के कहने पर हस्ताक्षर किये थे। अतः फरियादी के अनुसार लेखिए आवेदन प्र0पी0 1 में क्या लिखा है इसकी जानकारी तक इस साक्षी को नहीं है।

08- फरियादी स्वीटी (अ0सा0 1) के न्यायालय में दिये गये कथनों की पुष्टि उसके पिता मुरारी लाल (अ0सा0 2) ने अपने न्यायालीन कथनों में कि है। यह साक्षी भी अपने न्यायालीन कथनों में यह कहता है कि उसकी लडकी ने शाम को यह बताया था कि अभियुक्त ने उसे गालिया दी है। इस साक्षी का भी कही यह कहना नहीं है कि अभियुक्त उसकी लडकी को परेशान करता था या उसे किसी भी प्रकार के कोई अश्लील इशारे करता था। इस साक्षी का भी यही कहना है कि उसकी लडकी ने भी गाली गलौच की रिपोर्ट थाने पर लेख करायी थी। अतः स्वीटी (अ0सा0 1) व मुरारीलाल (अ0सा0 2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है। फरियादी स्वीटी (अ0सा0 1) जो कि अभियोजन की प्रमुख साक्षी है, कचरा फेंकने पर से अभियुक्त द्वारा विवाद करना बताती है।

09- अभियोजन का समर्थन न करने के कारण स्वीटी (अ0सा0 1) व मुरारीलाल (अ0सा0 2) को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी कर उनका विस्तार पूर्वक परीक्षण किया गया। परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया। स्वीटी (अ0सा0 1) का स्पष्ट कहना है कि उसने प्र0पी0 1 का आवेदन एवं प्र0पी 2 में उल्लेखित घटना पुलिस को लेख नहीं करायी तथा मात्र आरोपी से कचरा फेंकने का विवाद हुआ था। अतः स्वीटी (अ0सा0 1) व मुरारीलाल (अ0सा0 2) के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कथन न देकर अभियोजन घटना के विपरीत कथन देने से अभियुक्त पर आरोपित अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

10- किसी भी प्रकरण में दोषसिद्ध के लिये अभियोजन को अपना प्रकरण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है परन्तु इस प्रकरण में अभियोजन के मुख्य साक्षी बताये गये फरियादी स्वीटी (अ0सा0 1) व मुरारीलाल (अ0सा0 2) के द्वारा अभियोजन घटना के समर्थन में कथन न देने से साक्ष्य के अभाव में अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 22.04.2013 के पूर्व एक माह से फरियादी स्वीटी साहू कि लज्जा भंग/अनादर करने के आशय से उसे अश्लील इशारे व गाने गाकर एवं उसका पीछा किया।

(4)

दांडिक प्रकरण क.— 204 / 13

- 11— फलस्वरूप अभियुक्त मनीष साहू पुत्र रामस्वरूप साहू के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा 354डी के आरोप साबित नहीं होते हैं। उपरोक्त आधार पर अभियुक्त मनीष साहू पुत्र रामस्वरूप साहू को भा0दं0वि0 की धारा 354डी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 12— अभियुक्त मनीष साहू पुत्र रामस्वरूप साहू के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। अभियुक्तगण का धारा—428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)